समाहरणालय, खगड़िया
(जिला निर्वाचन शाखा)

निविदा प्रपत्र — प्रपत्र मूल्य – 200.00 (दो सौ) रूपये (निविदा प्रपत्र सहित)

भोजन/नाश्ता/चाय आदि की आपूर्ति हेतु निविदा

(क) सामान्य शर्त :–

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में देना अनिवार्य है। दोनों लिफाफे को अलग से एक लिफाफे में डालकर इसे मुहरबंद कर समर्पित करना होगा।
2. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
3. बिना कोई कारण बताये निविदा रद्द करने, निविदा के शर्तों को संशोधित करने, कार्यहित में एक से अधिक एजेंसी के बीच कार्य को बाँटने का अधिकार जिला क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा।
4. समय सीमा के अन्दर सामग्री आपूर्ति नहीं करनें पर संबंधित फर्म को काली सूची में दर्ज करते हुए निर्वाचन कार्य को बाधा पहुँचाने हेतु नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज करते हुए जमानत की रा‍ि ा जप्त कर ली जाएगी।
5. आपूर्ति किए जाने वाले भोजन/नास्ता कार्यस्थल पर उपलब्ध कराना होगा।
6. पैकेटिंग कार्य में पोलोथीन के थैला का व्यवहार नहीं होगा। सभी भोज्य सामग्री को अल्युमीनियम फोआइल के पैकेट्स में पैक कर आपूर्ति करनी होगी।
7. भोजन/नास्ता की आपूर्ति निर्धारित समय–सीमा के अंदर करनी होगी।
8. उपरोक्त सामग्री की तैयारी एवं पैकेटिंग जिला प्रशासन द्वारा आवंटित स्थल पर किया जाएगा।
9. खाना की गुणवत्ता एवं शुद्धता एवं माप की जांच खाद्य निरीक्षक एवं आपूर्ति निरीक्षकों द्वारा की जायेगी।
10. निविदाताओं का चरित्र उत्तम एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए।
11. निविदाताओं के फर्म को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से काली सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए।
12. भुगतान के समय देय कर की राशि की कटौती श्रोत पर नियमानुसार कर ली जायेगी।
13. भुगतान की कार्रवाई सामग्री की गुणवत्ता के आधार पर जाँचोपरांत की जाएगी।

(ख) तकनीकी निविदा की शर्तें:–

1. फर्म को बिहार वाणिज्य एवं सेवा कर से निबंधित होने का प्रमाण–पत्र, वैट नम्बर तथा आयकर नम्बर देना होगा। साथ ही, अद्यतन आयकर, वाणिज्यकर एवं सेवा कर जमा करने की विवरणी की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति भी संलग्न करना होगी।
2. तकनीकी निविदा के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पक्ष में 30,000/–(तीस हजार) रूपये का राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत बैंक ड्राफ्ट सुरक्षित राशि के रूप में जमा करना होगा।
3. कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिया गया निविदा ही मान्य होगा।
4. निविदादाता को अपने फर्म के संबंध में एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि फर्म किसी भी स्तर से काली सूची में दर्ज नहीं की गई है।
5. निविदादाता को यदि कार्य आवंटित होता है तो निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण करना होगा, अन्यथा कार्यादेश को रद्द करते हुए प्रतिभूति की राशि जप्त कर ली जाएगी तथा फर्म के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

(ग) वित्तीय निविदा की शर्तें:–

1. कार्यादेश के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्ति जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान पर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पैकेट्स तैयार कर करना होगा।
2. सभी सामग्रियों का दर सभी कर सहित देना होगा।
3. कार्यालय द्वारा क्रय किए गये निविदा प्रपत्र पर ही दर का उल्लेख अंक एवं शब्द में करना होगा।
4. उल्लिखित दर में किसी प्रकार का ओवर राइटिंग किए जाने पर उस मद का दर मान्य नहीं होगा

13/7/15

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, खगड़िया।

समाहरणालय, खगड़िया
(जिला निर्वाचन कार्यालय)

<u>भोजन / नाश्ता / चाय आदि की आपूर्ति हेतु निविदा</u>

आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के संचालन के क्रम में विभिन्न कोषांगो में देर रात तक कार्यरत कर्मियों को भोजन, नास्ता, चाय आदि की आव यकता होगी। वैसे निबंधित एवं सक्षम फर्म जो निर्धारित समय सीमा के अन्दर निर्धारित मीनू के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा आवंटित स्थान पर भोज्य सामग्री तैयार कर विभिन्न कार्यस्थल पर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पैकेट्स तैयार कर आपूर्ति करने के इच्छुक हैं, वें दिनांक 24.07.2015 के अपराह्न 03:00 बजे तक मुहर बन्द लिफाफे में जिला निर्वाचन कार्यालय, खगड़िया द्वारा निर्गत निविदा प्रपत्र में अपनी निविदा जिला निर्वाचन कार्यालय, खगड़िया में दे सकते है। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले कोई भी निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदा उसी दिन अपराह्न 03:00 (तीन) बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता फर्म के मालिक / प्राधिकृत प्रतिनिधि चाहे तो उपस्थित रह सकते है। निविदा द्विलिफाफा पद्धति के आधार पर आमंत्रित की गई है। निविदादाता फर्मों को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहर बन्द लिफाफा में समर्पित करना होगा। सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जाएगी। वैसे फर्म जो तकनीकी निविदा में सफल होंगे, उन्ही फर्मों की वित्तीय निविदा खोली जाएगी। निविदा के साथ निविदादाता को 30,000 / –(तीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पदनाम से देय होगा, संलग्न करना होगा। निविदा का प्रपत्र जिला निर्वाचन कार्यालय, खगड़िया से 200.00 (दो सौ) रूपये में कार्यालय अवधि में दिनांक 23.07.2015 के अपराह्न 01.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

13/7/15

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, खगड़िया।

ज्ञापांक....455 / निर्वा० दिनांक....13/07/15....

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसका प्रकाशन राज्य के लोकप्रिय हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाये।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इसका प्रकाशन जिले के वेवसाईट पर करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/7/15

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, खगड़िया।